# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

## जमाबंदी रद्द वाद संख्या–104 / 2017–18

### सचिन कुमार बनाम कुन्ती देवी

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 28/6/18 | **आदेश**<br>इस वाद की कार्यवाही अंचलाधिकारी, दानापुर के पत्रांक 3835 दिनांक 12.12.2017 के द्वारा प्रेषित जमाबंदी रद्द वाद सं0 08 / 2017–18 के अभिलेख के आलोक में आरम्भ की गयी।<br>अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि<br>(1) मौजा बबक्करपुर थाना नं0 35, खाता नं0 58 खेसरा नं0 47 रकबा 1.05 एकड़ रामधनी महतो एक हिस्सा वो हेमन महतो एवं कालीचरण महतो एक हिस्सा सर्वे खतियान में दर्ज है।<br>(2) खतियानी रैयत के वंशज रामशरण सिंह वल्द हेमन महतो के नाम से पंजी–2 में प्रश्नगत खेसरा के $52\frac{1}{2}$डी0 की जमाबंदी सं0 2 कायम थी, जिसे बाद में राम शरण सिंह के उत्तराधिकारी ललन सिंह के नाम से जमाबंदी सं0 1706 पर दर्ज किया गया है।<br>(3) अंचल कार्यालय, दानापुर के विविध वाद सं0 11 / 2016–17 के द्वारा कुन्ती देवी, पिता श्याम नारायण सिंह, पति राम प्रवेश सिंह, साकिन–हेमनचक, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना का नाम उक्त जमाबंदी सं0 1706 पर जोड़ा गया। पुनः दाखिल खारिज वाद सं0 1962 / 2016–17 के द्वारा जमाबंदी सं0 1706 से 26.25 डी0 रकबा खारिज कर कुन्ती देवी के नाम से जमाबंदी सं0 1739 कायम की गयी।<br>(4) कुन्ती देवी के द्वारा उक्त 26.25डी0 की बिक्री मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा0ली0 को कर दिये जाने के पश्चात दाखिल खारिज वाद सं0 555 / 2017–18 के द्वारा मिनाक्षी प्लानर्स कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 के नाम से जमाबंदी कायम कर दी गयी है।<br>(5) विविध वाद सं0 11 / 2016–17 के अन्तर्गत जमाबंदी रैयत को बिना सूचना दिए कुन्ती देवी का नाम जमाबंदी सं0 1706 में जोड़ दिया गया, जबकि खानदानी व पैतृक सम्पति में हक, हिस्सा, स्वामित्व एवं पारिवारिक बंटवारा आदि से संबंधित मामलों पर अंचल कार्यालयों के द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता। तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विविध वाद सं0 11 / 2016–17 के अंतर्गत कुन्ती देवी का नाम जमाबंदी सं0 1706 पर जोड़ा गया, फिर कुन्ती देवी के | |

नाम से आये हिस्सा 26.25 डी की जमाबंदी सं0 1739 अलग से कायम कर दी गयी। कुन्ती देवी के द्वारा पुनः उक्त 26.25 डी भूखण्ड को मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 को बेच दिया गया तथा निबंधित डीड के आधार पर मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 के नाम से जमाबंदी भी कायम हो गयी।

(6) अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा कुन्ती देवी एवं उसके बाद मिनाक्षी प्लानर्स कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के नाम से कायम जमाबंदी सं0 1739 को अवैध बताते हुए दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9 के तहत रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी कुन्ती देवी को नोटिस की गयी। विपक्षी कुन्ती देवी के द्वारा उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दायर किया गया।

दिनांक 07.05.2018 को मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्सट्रक्शन लि0 की तरफ से वकालतनामा दायर करते हुए बताया गया कि उनके द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का क्रय किया गया है, अतः उन्हें पक्षकार बनाया गया। सुनवाई के पश्चात मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा0लि0 को अंतःक्षेपक बनाये जाने की स्वीकृति दी गयी।

दिनांक 09.06.2018 को अंतःक्षेपक को प्रतिउत्तर दायर करने का अंतिम मौका दिया गया, परन्तु उनके द्वारा प्रतिउत्तर दायर नहीं किया गया, न ही वे अगली निर्धारित तिथि 23.06.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए।

अंतःक्षेपक आज भी अनुपस्थित हैं। आवेदक राधिन कुमार एवं विपक्षी कुन्ती देवी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(1) खाता सं0 58, खेसरा सं0 47 रकबा 1.05 एकड़ सर्वे खतियान में रामधनी महतो एक हिस्सा एवं हेमन्त महतो वो कालीचरण महतो एक हिस्सा दर्ज है।

(2) बंटवारा के पश्चात प्रश्नगत खेसरा का $52\frac{1}{2}$ डी0 रामशरण महतो, पिता हेमन्त महतो को मिला। रामशरण महतो के एक मात्र पुत्र श्याम नारायण सिंह हुए, जो रामशरण महतो के पश्चात अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये।

(3) श्याम नारायण सिंह की मृत्यु के उपरान्त उनके एकमात्र पुत्र ललन सिंह प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये तथा उनके नाम से जमाबंदी सं0 1706 कायम की गयी।

(4) विपक्षी कुन्ती देवी के द्वारा गलत ढंग से विविध वाद सं0 11/2016–17 के द्वारा पिता की जमाबंदी सं0 1706 में अपना नाम जुड़वा लिया गया। पुनः दाखिल खारिज वाद सं0 1962/2016–17 के द्वारा 26.25डी0 की जमाबंदी अपने नाम से करवा ली गयी। उसी जमाबंदी के आधार पर प्रश्नगत खेसरा के 26.25की बिक्री मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड

कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 को कर दी गयी। मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के नाम से भी दाखिल खारिज वाद सं0 555/2017–18 के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(5) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पुत्री पिता की सम्पति मे हिस्सा पाने की तभी हकदार होगी जब उक्त कानुन के अमल में आने की तिथि को पिता एवं पुत्री दोनों जीवित हों। प्रश्नगत मामले में ऐसी स्थिति नहीं है।

(6) प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षी का ना तो कोई हक बनता है और न ही उनका दखल है। कुन्ती देवी एवं मिनाक्षी प्लानर्स कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के पक्ष में कायम जमाबंदी को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया।

**विपक्षी कुन्ती देवी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि**

(1) विपक्षी कुन्ती देवी श्याम नारायण सिंह की पुत्री एवं ललन सिंह की बहन है। ललन सिंह के द्वारा सम्पति को हड़पने के उद्देश्य से अपने नाम से सम्पूर्ण जायदाद का दाखिल खारिज करा लिया गया।

(2) विपक्षी कुन्ती देवी के द्वारा दिनांक 17.02.2016 को कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना सदर के समक्ष स्व0 श्याम नारायण सिंह की पारिवारिक वंशावली का शपथ लिया गया, जिसके आधार पर विविध वाद सं0 11/2016–17 के अन्तर्गत सुनवाई कर उनका नाम ललन सिंह के नाम से चल रही जमाबंदी सं0 1706 में जोड़ा गया। तत्पश्चात विपक्षी के नाम से आधे–हिस्से की अलग जमाबंदी कायम की गयी।

(3) विपक्षी द्वारा अपने हिस्से की जमीन दिनांक 22.06.2017 के निबंधित कबाला से मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 को बेच दी गयी।

(4) सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि पिता की सम्पति में पुत्र एवं पुत्री का बराबर का हक है। इस आधार पर विपक्षी अपने पिता की सम्पति में बराबरी की हकदार है।

(5) प्रश्नगत भूखण्ड को अपने दखल–कब्जा में बताते हुए इस वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

**उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।**

(1) विपक्षी कुन्ती देवी के द्वारा दिनांक 17.02.2016 की पारिवारिक वंशावली का एक शपथ–पत्र संलग्न करते हुए भाई ललन सिंह के नाम से कायम प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी में अपना नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन अंचलाधिकारी, दानापुर को दिया गया।

(2) विविध वाद सं0 11/2016–17 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा ललन सिंह के नाम से कायम पूर्व की जमाबंदी सं0 1706 में कुन्ती देवी का नाम जोड़ने का आदेश दिनांक 08.07.2016 को दिया गया। उक्त अभिलेख के अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि

जमाबंदी रैयत लखन सिंह को नोटिस का तामिला कराया गया। जमाबंदी रैयत को नोटिस तामिला की प्रक्रिया पूर्ण किए बिना अंचलाधिकारी के द्वारा जमाबंदी रैयत की जमाबंदी में विपक्षी कुन्ती देवी का नाम जोड़ दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है।

(3) अंचलाधिकारी को पारिवारिक सम्पति में हक हिस्सा का निर्धारण करने का अधिकार नहीं है, परन्तु प्रश्नगत मामले में अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा पारिवारिक सम्पति में विपक्षी के हिस्से का निर्धारण करते हुए आधे हिस्से 26.25 डी0 की दाखिल खारिज की स्वीकृति विपक्षी कुन्ती देवी के नाम से कर दी गयी।

इस प्रकार विविध वाद सं0 11/2016-17 एवं दाखिल खारिज वाद सं0 1962/2016-17 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है।

(4) विपक्षी कुन्ती देवी के द्वारा अपने नाम से 26.25डी0 के लिए कायम जमाबंदी के आधार पर दिनांक 22.06.2017 के निबंधित डीड से 26.25डी0 की जमीन बिक्री मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा0लि0 को कर दी गयी। निबंधित डीड के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 555/5 वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा विविध वाद सं0 11/2016-17 एवं दाखिल खारिज वाद सं0 1962/2016-17 में दिया गया आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः उक्त आदेशों के तहत विपक्षी कुन्ती देवी के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी सं0 1739 को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ ही दाखिल खारिज वाद सं0 555/5 वर्ष 2017-18के अन्तर्गत मिनाक्षी प्लानर्स एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 के नाम से कायम जमाबंदी सं0 1739 भी रद्द समझी जायेगी।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, दानापुर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

29/6/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना

29/6/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना



(मनीष)